40

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3459–एक/2015 – विरूद्व – आदेश दिनांक 30–9–2015– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण नम्बर 122/2013–14 अपील

श्रीमती राधावाई पत्नि स्व.खेमचंद
ग्राम दहेड़ा जिला रायसेन
ळाल ग्राम गुलाबरी तहसील बासौदा
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदिका

विरूद्व

संतोष पुत्र गया प्रसाद ग्राम गुलाबरी
तहसील बासौदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री अनोज गुप्ता)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी0डी0मेधानी)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 122/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–9–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है ग्राम गुलाबरी के कोटवार को ग्राम में अनुपस्थित पाकर तहसीलदार गंजबासोदा ने प्रकरण कमांक 3/2003–04 अ–56 में पारित आदेश दिनांक 14–1–2004 से कोटवार पद से निलम्बित कर दिया। तदुपरांत अनावेदक ने तहसीलदार गंज बासोदा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके पिता ग्राम में कोटवार रहे है तथा

उनकी आयु 70 वर्ष होने से कोटवार पद पर रहने के इच्छुक नहीं है इसलिये उसे कोटवार पद पर नियुक्त किया जावे। तहसीलदार गंजबासोदा ने आदेश कमांक 3 अ-56/2003-04 दिनांक 26-4-2004 जारी किया तथा लोकसभा निर्वाचन 2004 एंव वसूली कार्य की अनिर्वायता के कारण अनावेदक को कोटवार के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर दी।

गयाप्रसाद कोटवार की मृत्यु होने के उपरांत आवेदिका के पति खेमचंद ने दिनांक 3-3-2006 को कोटवार पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया , जिस पर से तहसीलदार गंज बासोदा ने प्रकरण कमांक 2 अ-56/2006-07 पंजीबद्व किया कोटवार पद हेतु प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर आदेश दिनांक 30-6-2007 से आवेदिका को अस्थाई कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, गंज बासोदा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा ने प्रकरण कमांक 52/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-12-2007 से अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार गंज बासोदा ने पुन: सुनवाई कर प्रकरण कमांक 3 अ-56/07-07 में पारित आदेश दिनांक 9-7-08 से अनावेदक को कोटवार के पद से प्रथक करते हुये आवेदिका को कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, गंज बासोदा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो प्रकरण कमांक 48/07-08 अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 18-2-2009 से स्वीकार करके तहसीलदार गंज बासोदा को पुन: कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरूद्व अतिरिक्त आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई , जो प्रकरण कमांक 228/08-09 अपील पर दर्ज हुई एंव आदेश दिनांक 29-10-11 से निर्देश दिये गये कि ग्राम गुलाबरी के कोटवार पद पर स्थाई नियुक्ति की कार्यवाही की जांय। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 1957-पीबीआर/2011 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13-7-13 से अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 29-10-11 को स्थिर रखा गया।

तहसीलदार गंज बासोदा ने पक्षकारों को सुनकर प्रकरण कमांक 3/अ-56/07-08 में आदेश दिनांक 18-4-13 से अनावेदक को कोटवार के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी । इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 87/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-10-2013 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 18-4-13 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई, अपर आयुक्त ने प्रकरण कमांक 122/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी गंज बासोदा का आदेश दिनांक 4-10-2013 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों व्दारा लेखी तर्क प्रस्तुत किये हैं उन पर विचार करने के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उपरोक्त पद 2 में दिये गये विवरण एंव विद्वान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार करने के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4-10-13 एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-9-15 में दिये गये विवरणों पर विचार यह करना है कि क्या अनावेदक को पूर्व कोटवार गयाप्रसाद का पुत्र होने के नाते कोटवार पद के लिये पात्रता आती है अथवा नहीं - जैसाकि अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 30-9-15 के पद 4 में निष्कर्ष निकाला है, जबकि कोटवार पद के लिये दो समान योग्यताधारी व्यक्ति हों। कोटवार पद की उम्मीदवारी के लिये दो आवेदक समान योग्यताधारी हों तब कोटवार की नियुक्ति किन आधारों पर की जावेगी। आनन्दराम बनाम मोखितराम 1988 राजस्व निर्णय 290 तथा रामगोपाल विरूद्व छोटेलाल 1988 राजस्व निर्णय 339 में बताया गया है कि अभ्यर्थियों की योग्यता समान होने पर भूतपूर्व कोटवार के पुत्र को बरीयता प्राप्त होगी। इसी प्रकार शान्तुमुनिदास विरूद्व श्रीमती विटामिन वाई

तथा अन्य एक 1995 राजस्व निर्णय 135 में निर्णीत किया गया है कि ग्राम खुरूसबोड के कोटवारी पद के लिये पुनरीक्षणकर्ता शान्तुमुनिदास ने दसवीं कक्षा पास एंव अनुभव के आधार पर नियुक्ति के लिये आवेदन दिया तथा अनावेदिका विटामिन वाई ने भूतपूर्व कोटवार धुनसीराम की पुत्री होने और कक्षा पॉचवी तक शिक्षा के आधार पर आवेदन पेश किया। नायव तहसीलदार ने अनावेदिका को अग्रमान्यता देकर नियुक्त किया एंव अपील में एस0डी0ओ0 ने अधिक शिक्षा के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता को नियुक्त किया, किन्तु अपर आयुक्त रायपुर ने नायव तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा। पुनरीक्षण में निर्णय दिया गया कि शैक्षणिक योग्यता महत्वहीन है तथा अनुभव भी महत्वहीन है रिस्तेदार को अग्रमान्यता देना उचित है। विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति पाकर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 122/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 से अनावेदक की कोटवार पद पर तहसीलदार व्दारा की गई नियुक्ति को उचित माना है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नहीं पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 122/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर